



## नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली

### मुखबिर नीति

पृष्ठ 1 का 2

Spraying Systems Co. मानती है कि कंपनी के सभी कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं को उनके दैनिक कार्यों को करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित, उचित और नैतिक परिवेश मिलना चाहिए। इस नीति में, दुरु्यवहार, कानून के उल्लंघन, कंपनी नीति के उल्लंघन या किसी भी अन्य निषिद्ध अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए और प्रतिशोध से बिना डरे इन घटनाओं की सुरक्षित जांच करवाने वालों के लिए मौजूद सुरक्षाओं के बारे में बताया गया है।

यह नीति Spraying Systems के सभी स्थानों पर लागू होती हैं, इनमें वे स्थान भी शामिल हैं जो लागू संघीय और स्थानीय मुखबिर कानूनों, नियमों और विनियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

### उल्लंघनों की शिकायत करना

कर्मचारी एक सुरक्षित जांच प्रक्रिया शुरू करने के लिए वीटन, आईएल के मुख्यालय में स्थित कंपनी के मानव संसाधन विभाग में उल्लंघनों की शिकायत कर सकते हैं। सभी शिकायतों को कानून द्वारा अनुमत सीमा तक गोपनीय रूप से हल किया जाएगा।

इस नीति के अंतर्गत शामिल किए गए सभी से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे एक पूर्ण और उचित जांच के लिए शिकायत किए गए उल्लंघन के बारे में पर्याप्त जानकारी दें। घटना में शामिल लोगों के नाम (या घटना के गवाह), घटना(ओं) का लगभग या सटीक दिनांक और समय, घटना की जगह और व्यक्ति को क्यों लगता है कि घटना की शिकायत की जानी चाहिए, इस बारे में जानकारी देना ज़रूरी है।

उल्लंघनों की सभी शिकायतों की तुरंत और अच्छी तरह से जांच की जाएगी, और जांच के दौरान दी गई सभी जानकारी को तब तक गोपनीय रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा करना जांच करने के लिए ज़रूरी न हो और लागू कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार कोई भी प्रतिकारक कार्रवाई की जाएगी।

सभी कार्मिकों (कर्मचारी, पर्यवेक्षक, कॉन्ट्रैक्टर्स आदि) का कर्तव्य है कि वे जांच प्रक्रिया में सहयोग करें। यदि कोई कार्मिक जांच में सहयोग नहीं करता है या जांच के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जाएगी, जिसमें उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है।



## नीतियों और कार्यविधियों की नियमावली मुखबिर नीति

पृष्ठ 2 का 2

### प्रतिशोध

Spraying Systems Co. उस किसी भी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिशोध को रोकता है, जो नेकनीयत से कथित उल्लंघन की शिकायत करता है या जांच में भाग लेता है। संदिग्ध प्रतिशोध की शिकायत तुरंत मानव संसाधन से की जानी चाहिए।

प्रतिशोध के उदाहरण में ये शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जैसे नियुक्ति या तरक्की के अवसर न देना, धमकी देना या फटकारना, कार्यप्रदर्शन का नकारात्मक मूल्यांकन करना और नौकरी के लिए नकारात्मक रूप से संदर्भ देना।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, जिसे कंपनी ने नियुक्त किया है, अगर वह प्रतिशोध के व्यवहार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे दंड दिया जाएगा, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है।

उल्लंघनों की किसी भी शिकायतों को जांच प्रक्रिया के दौरान उसी तरह माना जाएगा, जैसे वे नेकनीयत से की गई हों। अगर जांच प्रक्रिया से यह तय होता है कि शिकायत बुरी नीयत से की गई है, तो शिकायत करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है और उसे वह पैसे भी चुकाने पड़ सकते हैं, जो जांच प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी ने खर्च किए हैं।